आज दिनांक 06.01.2000 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	हस्ताक्षर
1-	श्री बी०एम० वोहरा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ अध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून । अध्यक्ष ।	6/1/2000
2-	उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, ।उपाध्यक्ष।	
3-	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिलाधिकारी, देहरादून ।सदस्य।	
4-	श्री हरिशचन्द्र जोशी, मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून ।सदस्य ।	
5-	श्रीमतीअनिता सक्सेना ।सदस्य ।	6/1/2000
6-	श्री गणेश जोशी ।सदस्य ।	
7-	श्री अमीचन्द मंगला ।सदस्य ।	6/1/2000
8-		
9-		
10-		

(११५)

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष महोदय

विकास प्राधिकरण के 12 प्रीतम रोड स्थित सभागार में दिनांक 06. 01. 2000 को आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही तैयार कर दी गयी है जो सम्मुख आपके अवलोकनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

17/01

सचिव
म० दे० वि० प्राधिकरण
देहरादून

17.1.2000
VC

सचिव / HC.

अ०श्रा० करें।

17.1.2000.

HC

17/01

आज दिनांक 06.01.2000 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी. एम. वोहरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

1. श्री बी. एम. वोहरा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्रीमती मनीषा पंवार, उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा.	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिलाधिकारी, दे0दून	सदस्य
4. श्री हरिश्चन्द्र जोशी, प्रशासक, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
5. श्री गणेश जोशी	सदस्य
6. श्री अमीचन्द मंगला	सदस्य
7. श्रीमती अनिता सक्सेना	सदस्य

<u>अन्य उपस्थिति</u> :-

1. श्री पंकज गंगवार, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2. श्री जी. बी. सिंह, मुख्य नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. श्री आर. पी. पसबोला, मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा, देहरादून ।
4. श्री बी. के. सोनकर, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सदस्यों द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के नव नियुक्त सदस्यों श्रीमती मनीषा पंवार, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिलाधिकारी, देहरादून का स्वागत किया गया। आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा भी प्राधिकरण बोर्ड के नव नियुक्त उक्त दोनों सदस्यों को अभिनन्दित करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि उक्त दोनों सदस्यों के सार्थक प्रयासों से प्राधिकरण चहुमुंखी विकास की ओर भविष्य में अग्रसर होगा।

बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसकी कार्यवाही बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

गत बैठक दिनांक 12.5.99 की कार्यवाही की पुष्टिः-

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.5.99 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी और कार्यवाही की पुष्टि किए जाने से पूर्व सदस्यों का अभिमत् प्राप्त किया गया। उक्त बैठक दिनांक 12.5.99 की कार्यवाही के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा हुई जो निम्न प्रकार हैः-

1. गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-01

यह विषय क्रमांक ग्राम अजबपुरकलां में स्थित (रिस्पना नदी के पश्चिम तथा बाईपास के पूरब दिशा की ओर) भूमि ख0नं0-824 (एम) की रिक्त भूमि विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत् कराया गया कि गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप ख0नं0-1235 की भूमि के एवज में ख0 नं0-825 824 (एम) की अवशेष भूमि विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून से अनुरोध किया जा चुका है और भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति में है।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-02

यह बिन्दु (अपराधों का शमन द्वितीय संशोधन) उपविधियों से सम्बन्धित है, पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत् कराया गया कि इस सम्बन्ध में उनकी शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत् कराया गया कि जनवरी, 2000 के अन्त तक शासन से उपरोक्त उपविधियों का नोटीफिकेशन हो जायेगा तथा विकास प्राधिकरण द्वारा इन उपविधियों को फरवरी 2000 के प्रथम सप्ताह तक लागू कर दिया जायेगा।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-03

यह प्रकरण विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित 14 औद्योगिक इकाईयों की स्पाट जोनिंग से सम्बन्धित है। सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु प्रस्ताव विषय क्रमांक-

03 पर प्रस्तुत किया गया है।

<u>गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-07</u>

यह बिन्दु शासन द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आश्रय योजना के अन्तंगत बनाए गए 100 दुर्बल आय वर्ग के भवनों पर दी जाने वाले सब्सिडी के सम्बन्ध में है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत् कराया गया कि शासन के निर्देश हैं कि उक्त भवनों को रू0-45,000/- तक की सीमा के अन्तंगत आवंटियों को आवंटित किया जाए जिसका अनुपालन विकास प्राधिकरण स्तर पर किए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को रू0-18 लाख की सब्सिडी की आवश्यकता है। और इस धनराशि को समायोजित करने के लिए उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के साथ लगी हुई अन्य भूमि को क्रय कर दूसरी श्रेणी के भवनों का निर्माण किया जाता है तो इस सब्सिडी को दूसरी श्रेणी के भवनों में समायोजित किया जा सकता है।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त आम सहमति से उक्त योजना के साथ लगी अन्य भूमि क्रय कर भवनों का निर्माण करने के उपरान्त उक्त धनराशि को समायोजित करने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान प्रशासक, नगर निगम, देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम से न्यूनतम् दरों पर भूमि क्रय कर सकता है। सदस्यों का मत था कि भविष्य में विकास प्राधिकरण द्वारा जब भी भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है, तो नगर निगम से भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली जाए और यदि नगर निगम द्वारा विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुरूप अन्य की अपेक्षा उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो इसे क्रय करने पर भी विचार कर लिया जाए।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-09

यह बिन्दु गूलरघाटी को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग को योजना प्रस्तुत की गयी थी परन्तु पर्यटन विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होंने बैठक में यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सकता है।

विचारोपरान्त आम सहमति यह थी कि फिलहाल उक्त प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने स्तर से निर्णय लें।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-10

यह बिन्दु मसूरी में पूर्व निर्मित घोड़ा स्टैण्ड के भुगतान के सम्बन्ध में है, पर विचार-विमर्श के दौरान अवगत करायागया कि उक्त स्टैण्ड घोड़ों के खड़े होने के लिए खोल दिया गया है और सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान करने हेतु औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। सदस्यों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करें।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-12

यह बिन्दु विकास प्राधिकरण में कार्यरत मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के आवास किराए के सम्बन्ध में है। विचारोपरान्त आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि गत बैठक दिनांक 12.5.99 में लिए गए निर्णय के अनुरूप इस सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों से जानकारी

उपरोक्त निर्देशों/निर्णयों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 12.5.99 की कार्यवाही की पुष्टि सर्व-सम्मति से की गयी।

विषय क्रमांक---01 विजन-2000

प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में अवगत् कराया गया कि देहरादून महायोजना वर्ष 2001 में समाप्त हो जायेगी तदपरान्त नई महायोजना को लागू किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग उ०प्र० द्वारा की जा रही है। उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० द्वारा अवगत् कराया गया कि नई महायोजना आगामी 20 वर्षों के लिए तैयार की जा रही है अतः देहरादून शहर की बढ़ती आवादी के परिप्रेक्ष्य में महायोजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से देहरादून शहर की आवादी दिनोंदिन बढ़ रही है, उसी के अनुरूप शहर की अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त जैसे — सुगम यातायात हेतु समुचित चौड़ी सडकें, फ्लाई आवर्स सब-वे का प्राविधान, कम्प्यूटर के क्षेत्र में साफ्ट वेयर पार्क का सृजन एवं विशिष्ट प्रकृति के शैक्षिक संस्थाओं, पार्किंग की उचित व्यवस्था हेतु स्थान का चिहांकन, बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु उच्च कोटि के एम्यूजमेण्ट पार्क, शहर के अन्तर्गत पानी की निकासी हेतु महायोजना तैयार करने का कार्य अभी से प्रारम्भ करने हेतु नई महायोजना में इनका प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा देहरादून नगर के लिए बनाए जाने वाले मास्टर प्लान में सीवेज हेतु स्थान आरक्षित करने का भी सुझाव दिया गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया

गया कि देहरादून शहर के लिए प्रस्तावित की जाने वाले नई महायोजना में उपरोक्त वर्णित सभी बातों का समायोजन करने के लिए प्रदेश/देश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत दक्ष आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ट्रैफिक प्लानर्स, वास्तुविदों, नियोजकों, लैण्ड स्केप आर्किटेक्ट्स तथा अर्बन प्लानर्स से यथा आवश्यकता विकास प्राधिकरण द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाए। अतः सर्व-सम्मत्ति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए नई प्रस्तावित महायोजना में उपरोक्त वर्णित तथ्यों को समायोजित कराने के लिए उपरोक्त क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों एवं संस्थाओं से परामर्श लेने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

इसी विषय पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्य श्री अमीचंद मंगला द्वारा अवगत कराया गया कि त्यागी रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सम्पन्न हेतु बैठकों में निर्णय लिया गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया है। इस सुझाव पर सभी सदस्यों का यह मत था कि शासन कि किसी इकाई से यह कार्य कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु किसी निजी संस्था से विचार-विमर्श कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

<u>विषय क्रमांक:-02</u>

विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए मार्ग दर्शिका सिद्धान्त (गाइडलाइन्स) के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सुझाव दिया गया कि परिसम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए शासन द्वारा प्रेषित आदेश मार्गदर्शिका सिद्धान्तों (गाईड लाईन्स) का विकास प्राधिकरण हित में विस्तृत परीक्षण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उन्होंने इस सम्बन्ध में परीक्षण

हेतु एक समिति की गठन करने का सुझाव दिया। विचारोपरान्त आम सहमति से उक्त मार्गदर्शिक सिद्धान्तों का विकास प्राधिकरण हित में परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया गया:-

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक/अधि. अभियंता	सदस्य
3. मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0	सदस्य/सचिव
4. श्रीमती अनिता सक्सेना	सदस्य

यह भी निर्देशित दिए गए कि उक्त कमेटी इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक:-03

स्पाट जोनिंग के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। अवगत कराया गया कि यह प्रकरण विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व निर्मित 14 औद्योगिक इकाईयों की स्पाट जोनिंग किए जाने के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण विकास प्राधिकरण को उद्योग बन्धु से संदर्भित हुआ है और विकास प्राधिकरण स्तर पर इस सम्बन्ध में व्यापक जांच/परीक्षण कराया जाना आवश्यक है जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन सी औद्योगिक इकाईयां विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व की है तथा कौन सी औद्योगिक इकाई विकास प्राधिकरण के गठन के बाद स्थापित हुई है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षण से सम्बन्धित उक्त कार्य को कराने हेतु एक समिति का गठन कर दिया जाए। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उक्त सुझाव से सभी सदस्य सहमत होते हुए सर्व-सम्मत्ति से निम्नानुसार उक्त परीक्षण के कार्य हेतु एक कमेटी का गठन किया गया:-

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण संयोजक
2. मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 सदस्य/सचिव
3. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, देहरादून सदस्य

यह भी निर्देश दिए गए कि उपरोक्त कमेटी इन औद्योगिक इकाईयों का व्यापक परीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक:-04

खसरा नम्बर-05 एवं 35 आमवाला तरला पर शालिनी मेमोरियल स्कूल के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का कहना था कि इस प्रकरण में विकास प्राधिकरण के स्तर से आवेदक को अनेकों बार आपत्तियां सूचित की गयी जिनके निराकरण करते-करते आवेदक को एक लम्बा समय लग गया और इसी बीच विकास शुल्कों की दरों में बढोत्तरी होने के कारण आवेदक को अत्यधिक शुल्क जमा कराने के लिए सूचित किया गया है। इस प्रकरण पर प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 12.5.99 में लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रकरण पर आख्या दिए जाने हेतु गठित कमेटी की राय का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया कुछ सदस्यों का कहना था कि संस्था द्वारा चैरेटिबल स्कूल के निर्माण हेतु भवन मानचित्र प्रस्तावित किया गया है अतः इस आधार पर इस प्रकरण में विचार करते हुए इसे न्यूनतम् विकास शुल्क लेकर स्वीकृत कर दिया जाए। इस पर कतिपय सदस्यों की राय यह थी कि यदि इस प्रकरण को उक्त आधार पर बिना परीक्षण किए न्यूनतम् शुल्क पर स्वीकृति प्रदान की जाती है तो यह भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जायेगा।

विचारोपरान्त आम सहमति यह थी कि इस सम्बन्ध में और परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस सम्बन्ध में

114

---11---

अपने स्तर से परीक्षण करा लें तथा मानचित्र के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर उनका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निस्तारण अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

विषय क्रमांक:-05

राजपुर रोड योजना संख्या-02 (जाखन) देहरादून की भूमि के संदर्भ में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत् कराया गया कि उपरोक्त योजना से सम्बन्धित अधिसूचना जिसे श्री राज्यपाल महोदय द्वारा परित्याग किया गया है, के अन्तर्गत खसरा नम्बरानों के विवरण की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, नेहरू कालोनी, देहरादून से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उक्त सूचना विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

विस्तृत विचारोपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित सूचना अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, देहरादून से प्राप्त हो जाने के उपरान्त उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उक्त क्षेत्र के भवन मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करें।

एजेण्डा नोट के अन्तर्गत भाग-2 में प्रदर्शित विकास प्राधिकरण के कार्य कलापों की प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्तुत आंकड़ों का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया और निम्नानुसार मत प्रकट किए गए:-

1. प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून

(126)

विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण स्तर पर उनके द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत विगत 10 दिसम्बर, 1999 से 10 जनवरी, 2000 तक सम्पत्ति निस्तारण का एक विशेष कैम्प लगाया गया है जिसके कारण विकास प्राधिकरण की लगभग 85 लाख रू० की रिक्त पड़ी सम्पत्ति का निस्तारण इस कैम्प के आयोजन से हुआ है। सभी सदस्यों द्वारा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उक्त प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के निस्तारण हेतु भी भविष्य में भी इस प्रकरण का सफल प्रयास कर प्राधिकरण को बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर बैठक में विचार-विमर्श के दौरान सदस्य श्री अमी चन्द मंगला द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले विकास कार्यों के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड में सदस्यों के रूप में नियुक्त जन प्रतिनिधियों की भी राय ली जाने चाहिए। इस पर उन्हें अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण कार्यों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के अनुमोदन के उपरान्त ही विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा सम्पादित कराए जाते हैं। फिर भी मा० सदस्य की जिज्ञासा का समादर करते हुए मा० आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन/स्वीकृति से पूर्व मा० सदस्यों की राय भी उपाध्यक्ष, अपने स्तर से लेने के उपरान्त इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सामने भविष्य में रखें। मा० सदस्यों से भी अनुरोध किया गया कि वे भी विकास कार्यों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में अपने सुझाव लिखित रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी को प्रेषित कर सकते हैं।

इसी बिन्दु के अन्तर्गत प्रदर्शित सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमणों को हटाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतत प्रस्ताव का भी बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत् कराया गया कि जनवरी, 2000 माह के अंतिम सप्ताह तक देहरादून शहर क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

विषय क्रमांक:-06

सांगस्टन पब्लिक लायब्रेरी एवं कल्चर सेण्टर कुल्हान मानसिंह सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक:-07

इंदिरापुरम फेज-II (आश्रय योजना)

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। योजना के सम्बन्ध में प्रस्तुत अविन्यास चित्र का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया तथा सर्व-सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक:-08

ट्रांसपोर्ट नगर के अविन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तारण से चर्चा हुई। ट्रान्सपोर्ट नगर का अविन्यास मानचित्र का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। चर्चा के दौरान सदस्यों की जिज्ञासा पर अवगत कराया गया कि उक्त योजना हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि का कब्जा विकास प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया है। चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भ में लगभग 02 करोड रू0 की आवश्यकता पड़ेगी तदपरान्त अवशेष धनराशि विकास प्राधिकरण को योजना

में परिसम्पत्तियों के आवंटन से प्राप्त हो जायेगी।

आम सहमति से विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु दो 14 रू0 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए हडको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-09

विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य
विषय क्रमांक:-10

रिस्पना पुल के आगे हरिद्वार रोड पर ख0नं0-1/1 चकशाह नगर में श्री एस. पी. कालरा द्वारा कराए गए शापिंग काम्पलैक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचारोपरान्त इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक:-
अन्य विषय क्रमांक:-02

श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा सहारनपुर रोड के ख0नं0-152 ग्राम सेवलाखुर्द में पेट्रोल पम्प के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मा0 सं0-19/99-2000 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। आम सहमति यह थी कि भवन मानचित्र की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 इसे अपने स्तर से निस्तारण करें।

अन्य विषय क्रमांक:-03

श्रीमती एच. ए. हिस्से द्वारा प्रस्तुत मा0 सं0-944/99-2000 के संबंध में।

114

विस्तार से चर्चा के उपरान्त भवन मानचित्र को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

बैठक के अन्त में आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में प्राधिकरण के विरूद्ध योजित वादों में प्रभावी पैरवी प्राधिकरण स्तर से नहीं हो रही है जिससे प्राधिकरण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अन्त में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/1/2000

सचिव
म० दे० वि० प्राधिकरण
देहरादून

(बी. एम. वोहरा)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल
अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।